



Nº 013912

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

संख्या 2809

(ऐक्ट 21, 1860)

वर्ष 2009-2010

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि " विवेकानन्द विजन इंस्टीट्यूट
पिपुल्स फाउण्डेशन "

वत्स बिहार, नीयर बाजार समिति, पो०- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद
सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख पच्चीस मास मार्च वर्ष दो हजार छह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबन्धन विज्ञापन मात्र संस्था का निबन्धन करता है। निबन्धन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने के लिए ही माना जायेगा या वित्तीय सहायता के प्रायोजन के बिना नहीं माना जायेगा ।

वि० सं० म० (निबन्धन) 1 —II—10

2009-23-9-2010-पो० एम० सिंह

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

(Signature)